पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता

*डॉ. मो. रफीक खान

शोध सारांश

भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जिसका प्रतिनिधित्व कृषक व पिछडी जातियाँ करती है। गाँवों में पिछडी जातियों व किसानों का प्राचीन काल से ही सशक्त लोगों द्वारा शोषण होता रहा है। वहीं दूसरी और ग्रामीण महिलाओं को पुरूष प्रधान समाज ने कभी उभरने ही नहीं दिया है। उन्हें शिक्षित न होने देना, कम आयु में शादी व विकास में उनका योगदान नहीं होने देना महिलाओं व पुरूषों में असमानता का कारण रहा है। अतः केन्द्र सरकार ने पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी तय करते हुए उन्हें देश व गाँव के विकास में योगदान हेतु आगे लाने हेतू निर्वाचन में एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। इससे महिलाओं की सहभागिता बढी है तथा वे अब पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में योगदान दे रही है।

प्रस्तावना

प्रजातंत्र की सबसे निम्नतम इकाई पंचायत है और स्थानीय स्वशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतीराज देश के लिए कोई नई उपलब्धि नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में बहुत पहले से इसकी सशक्त परम्परा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश स्वतंत्र होने से पहले से ही पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से पिछडे हुए वर्गो के हाथों में सत्ता हस्तान्तरित करने की कल्पना की थी। स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायतीराज व्यवस्था लागू करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के आधार पर सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया। बलदेवराय मेहता समिति की संस्तुतियों के आधार पर 1959 ई. में पंचायतीराज व्यवस्था विधिवत् शुरू की गई लेकिन यह अपने कार्यो तथा उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही। सत्ता पिछडे वर्गो के बजाए गॉवों के उच्च और साधन सम्पन्न वर्गो के हाथों में चली गई। बाद में सत्ता का विकेन्दीकरण करके सही अर्थो में पिछडे तथ्य दलित वर्गो को भागीदार बनाने का निश्चय किया गया।

परिचय

भारत में महिलाओं का स्थान विषय पर गठित समिति ने 1974 में अनुशंसा की थी कि ऐसी पंचायतें बनाई जाऐं जिनमें केवल महिलाऐं ही हो। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लॉन फॉर द विमेन, 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण को पंचायतीराज संस्थानों में राव समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। अप्रैल 1993 में भारतीय संविधान में 73 वां तथा 74 वां संविधान संशोधन

पारित करके महिलाओं को पंचायतों तथा नगर निकायों में एक तिहाई स्थान आरक्षित करके मूल स्तर पर राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई।

परिणाम यह हुआ है कि आज महिलाऐं पुरूषों के कंधे से कन्धा मिलाकर चल रही है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाऐं बढ चढकर चुनावों में भाग ले रही है, और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, महापौर आदि महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचित होकर अत्यन्त कुशलतापूर्वक कामकाज कर रही है। यद्यपि यह भी सत्य है कि अधिकांश महिलाऐं कानूनी दांवपेचों में कुशल नहीं है उन्हें तकनीकी रूप से बनाए गए नियमों के विषय में गंभीर जानकारियाँ नहीं है लेकिन वे भली–भॉति जानती है कि मितव्ययिता के साथ किस प्रकार धन खर्च किया जाए। गाँवों की महिलाऐं भोजन बनाने के लिए दूर–दराज क्षेत्रों से ईधन एकत्र करती है, मीलों दूर से पानी लेकर आती है, निम्नशिक्षा स्तर के कारण महिलाओं का जीवन कष्टमय होता है, इन समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए ये महिलाऐं तत्पर है। विभिन्न विभागों में कार्य करने तथा निर्णायक भूमिका निभाने के बाद में गॉवों में रहने वाली महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी जो विभेद और विसंगति है उसमें भी धीरे–धीरे सुधार आ रहा है।

पंचायतीराज के प्रारंभिक दौर में पंचायतों के संचालन की कमान किसी–न–किसी पुरूष के हाथ में होती थी लेकिन अब महिलाओं की मनःस्थिति बदल रही है। महिलाऐं अब विभिन्न बैठकों में निर्भिकतापूर्वक अपना पक्ष रखने का साहस कर रही है। इस प्रकार पंचायतीराज में जहाँ एक ओर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से समाज में उन्हें सम्मान मिला है। जिससे विकास के द्वारा खुले है, वहीं दूसरी ओर पुरूष तथा स्त्री के मध्य व्याप्त सामाजिक विषमता में कमी आई है। राजनीतिक सत्ता पर बढती भागीदारी के साथ–साथ महिलाऐं अब धीरे–धीरे स्वावलंम्बी होती जा रही है। प्रारंभ में यह प्रश्न उठता था कि क्या अधिकांश महिलाऐं चुनाव में भाग लेने का साहस करेंगीघ रूढिवादी परम्पराओं के तले दबी नारी एकाएक पंचायती मंचों पर कैसे उन्मुक्त भाषण देगींघ अफसरशाही शासन के सामने किस प्रकार गॉवों की समस्याऐं रखेंगी तथा कैसे इन समस्याओं का समाधान खोजेंगीघ किन्तु गत कुछ चुनावों में प्रत्येक जाति और वर्ग की महिलाओं में अभूतपूर्व चुनावी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। पंचायतीराज संस्थाओं में उनकी बढती सक्रियता और भागीदारी से नया मार्ग प्रशस्त हुआ है।

भारत में सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में शताब्दियों से कुछ वर्ग दलित तथा शोषित रहे जिनका शोषण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से शाक्तिशाली वर्गो के लोगों द्वारा किया जाता रहा है। हरिजन तथा पिछडी जातियों के साथ – साथ भारतीय नारी को भी शोषितों के वर्ग में रखा जाना तर्कसंगत प्रतीत होता है। आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त लोगों ने यदि पिछडी जातियों तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों का शोषण किया है तो सम्पूर्ण पुरूष वर्ग ने नारी को उपभोग की वस्तु समझक कर एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया है।

महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण बहुत सोच समझकर लिया गया निर्णय है। ग्रामीण परिवेष में आज भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है, ये काफी पिछडी हुई दशा में है। पुरूष वर्ग महिलाओं पर हावी है। 1993 में पंचायतीराज विधेयक के पारित हो जाने से इस असंगति में काफी कमी नजर आयी है। इससे महिलाओं में एक नई जागृति, अधिकारों के प्रति जागरूकता, शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की शक्ति एवं अत्याचारों के विरोध में साहस से डटे रहना आया है। इन सबके फलस्वरूप गॉवों में शक्ति का उत्कर्ष हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की बढती भागीदारी संतोषजनक नहीं कहीं जा सकती है। महिलाओं की भागीदारी तो सुनिश्चित हुई है, लेकिन अपेक्षित प्रभावशीलता और सशक्तीकरण की दिशा में परिणाम सकारात्मक नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार है –

- यह बात निर्मूल सिद्ध हुई है कि महिलाऐं स्वतः ही निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने लगेगी साथ ही महिलाऐं त्रिस्तरीय प्रणाली में नेतृत्व विकसित करने में असमर्थ रही है।
- ज्यादातर महिलाओं में इस बात का भय व्याप्त है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में भागीदारी से उनके घरेलू दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इस प्रणाली में नहीं नहीं है।
- पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व यद्यपि स्वागत योग्य है लेकिन यह आशा करना व्यर्थ है कि यह व्यवस्था जाति समीकरणों में परिवर्तन लाकर सता का झुकाव समाज के कमजोर वर्ग के पक्ष में करेगी।
- निर्वाचित महिलाओं की भूमिका व भविष्य आज भी उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है।
- चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होने के बाद महिला उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर किया जाता है।
- पिछले चुनावों में आरक्षण का एक नकारात्मक पक्ष यह रहा है कि महिलाऐं अधिकांशतः आरक्षित स्थानों पर ही चुनाव मैदान में आई है तथा सामान्य वर्ग की सीटों को पुरूषों के लिए आरक्षित मान लिया गया है।
- महिला पंचों तथा सरपंचो की प्रभावी भूमिका के विरूद्ध समाज का दबाव हमेशा से ही रहा है। ग्रामीण समाज आज भी इस परम्परा को समाप्त नहीं कर सका है।
- पंचायतीराज में जाति पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
- पंचायतीराज महिलाओं की सीटों का आरक्षण अस्थायी है।
- ज्यादातर यह देखा गया है कि बैठकों में महिलाओं के स्थान पर उनके पति/पुत्र बढ चढकर हिस्सा लेते है तथा चयनित महिलाओं के हस्ताक्षर घरों में जाकर करवा लेते है।

विश्लेषण एवं परिणाम

आरक्षण के कारण सैद्धान्तिक रूप से शक्ति महिलाओं के हाथ में आ गई है। परन्तु यह भी कि आज भी पुरूष ही सत्ता पर नियन्त्रण रखें हुए है। अज्ञानता एवे अनुभवहीनता, पुरूषों पर निर्भरता महिलाओं के लिए आरक्षण को अर्थहीन बना देती है। अतः यह आवश्यक है कि महिलाओ में जागरूकता लाई जाऐं। उनको राजनीतिक जानकारी से अवगत कराया जाऐं। जहाँ तक सम्भव हो उन्हें नई भूमिका को निभाने के लिये शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाऐं पंचायतों में कार्यरत महिलाओं को समय–समय पर नए कार्यक्रमों की जानकारी दी जाये तथा वर्तमान में चालू कार्यक्रमों में उन्हें कितनी संसाधन उपलब्ध कराए जाये जा रहें है इसकी भी जानकारी दी जाए तभी वे ग्राम के लिये प्रभावशाली योजनाऐं बना सकेगी वे विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य तक पहुँच पाएंगी। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की पंचायती राज में सक्रिय भूमिका हेतु परिवार की सकारात्मक भूमिका पर विचार करना होगा।

त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता निर्धारित करना ही समय की माँग नहीं है। बल्कि सत्ता के सभी स्तरों पर आधा अधिकार उन्हें सौपना होगा। आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा विकास क्षेत्रों में उनकी 50प्रतिशत भागीदार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर व्यापक प्रयास करने करने होगें तथा समाज की सोच एवं पूर्वाग्रहों पर परिवर्तन भी लाना होगा।

अतः यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनर्जीवित हुई है। लेकिन ग्राम स्वराज्य आने में अभी समय लगेगा। यदि देश को समृद्ध बनाना है तो गाँवों को समृद्ध बनाना होगा और यह समृद्धि तभी आ सकती

है जब लोग अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण स्वयं करे। यद्यपि ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता बढने से मितव्यता, अच्छा प्रशासन, ईमानदारी, लगन निष्ठा उतरदायित्व आदि मूल्शें का होना सुनिश्चित होगा। यह विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन की भावना का पूर्ण सम्मान किया जाएगा तथा दिए गए सुधारों को साकार करने के यथासम्भव प्रयास किये जाएंगे। यह देश के पुर्ननिर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

***सहायक आचार्य**
राजनीतिक विज्ञान विभाग
दयानन्द कॉलेज, अजमेर

संदर्भ–सूची

1. सरस्वती, आचार्य रमेशवन्द्र : भारत में पंचायतीराज, अजमेर 1996
2. देसाई, के. एस. : पंचायतीराज एशिया पब्लिकेशन हाउस, बम्बई, 1962
3. टीफॉर डेवलपमेंट आल्टरने ट्विस फॉर विमेन, नई दिल्ली, पएचण 32 . 33
4. पंचायतीराज : संकल्पना और वर्तमान स्वरूप, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट
5. D. N. (1989). 'Reservations For Women In Panchayats', Economic and Political Weekly, Vol. 24, No. 23, June, p.1269.
6. Desai A.R. (1969). Rural sociology in India, Bombay, Popular Parkashan.